यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, सैक्टर–ओमेगा, पी–2, ग्रेटर नोएडा सिटी– 201308

पत्रांक–वाई.ई.ए/नियोजन/BP-27/1035
दिनांक 08/09/2014

सेवा में,

मैसर्स सोलिटेयर रियल इन्फ्रा प्रा0 लि0
डी–835, न्यू फ्रेंडस कॉलोनी
नई दिल्ली–65

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक– 26/08/2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके द्वारा भूखण्ड संख्या जी.एच–बी–1/2, (क्षेत्रफल– 67011.60 वर्ग मीटर) सैक्टर–25, यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के लिये भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत मानचित्रों की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के साथ दी गयी है:–

1. यह मानचित्र दिनांक–21/02/2019 तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाए, यमुना प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नही होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
4. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृती स्वतः निरस्त हो जायेगी।
5. यदि भविष्य में विकास कार्य अथवा अन्य कोई व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
6. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी अन्य भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन यमुना एक्सप्रेसव प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा।
10. सडक पर अथवा सर्विस लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र दिनांक–22/02/2019 की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पटटेदार को पटटे के अधिकार उपलबध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पटटे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पटटे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

14. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में नही लाया जायेगा।
15. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
16. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनॉक 14/09/06 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
17. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरुप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
19. इस पत्र की स्वीकृति वर्तमान में केवल 30 मीटर भवन की ऊँचाई तक है। एयरपोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजन विभाग में प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके आधार पर पूर्व में स्वीकृत पत्र एवं मानचित्र पर लिखित टिप्पणी को निरस्त करते हुए मानचित्र निर्गत किया जायेगा तथा संशोधित स्वीकृत पत्र जारी किया जायेगा। इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नही लिया जायेगा तथा मानचित्र की वैद्यता पूर्व में निर्गत तिथि से मान्य रहेगी।
20. सैक्टर–25 के भू–विन्यास मानचित्र हेतु स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तो का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
21. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचिन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये Ancient momunents, Archaeological sites and remains (Amondment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
22. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
23. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नही किया जाएगा।
24. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
25. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आंवटी स्वय लेगें।
26. एन0जी0टी द्वारा दिये गये निर्देशों/निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक– स्वीकृत मानचित्रों की प्रति।

Meena 2/1/14

(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक–नियोजन

प्रतिलिपि–
1. निजी सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक–नियोजन